25/11/25 पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं
गवाह श्री............आर्थिको स्थगन
उपस्थित............किया गया
....
अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि. 6/1/26
को पेश हो।

6.1.26 पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं
गवाह श्री............आर्थिको स्थगन
उपस्थित............किया गया
....
अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि. 10/2/26
को पेश हो।

10/2/26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसको शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जो दिया गया पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी मे दिनांक 17/2/26 को पेश हो।

10/02/26

17/2/26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक /राजस्व/2026/45 दिनांक 20.1.2026 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट मे वर्णित मौजा नंगावली के खाता सं. 533, 534, 535 व 538 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में जगदीश पिता वीरमा दर्ज है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम अशोक कुमार होने से तहसीलदार डूंगला ने वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जगदीश पिता वीरमा के बजाय अशोक कुमार पुत्र वीरमा दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। तहसीलदार डूंगला से प्राप्त हुई रिपोर्ट के सम्बन्ध में वकील प्रार्थी को अवगत कराया गया। वकील प्रार्थी प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन हेतु सहमत है। पत्रावली का एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर परिशीलन किया गया। परीक्षण उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13[illegible] का स्वीकार किया जाता है। तथा मौजा [illegible] खाता सं. 533, 534, 535 व 538 [illegible] अशोक कुमार दर्ज [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसको शामिल पत्रावली किया गया। अतः मौजा नंगावली के खाता सं. 533, 534, 535 व 538 में अंकित प्रविष्टि जगदीश के बजाय अशोक कुमार दुरूस्त दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश जारी हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार रिकॉर्ड जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:44:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner